

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 24.10.2025

अनैतिक देह व्यापार का अपराध कारित करने के आरोप में 03 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चिलुआताल द्वारा गैंग लीडर बृजेश कुमार साहनी उर्फ विजय पुत्र स्व० कैलाश निवासी ग्राम जंगल एकला नं० 02 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर व गैंग के अन्य सदस्य 1. प्रेम साहनी पुत्र पारस साहनी निवासी हरसेवकपुर नं० 2 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर व 2. बिट्टू उर्फ अनीता पुत्री स्व० रामजतन निवासिनी हरिपुर तुरा बाजार थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। उक्त गैंग का लीडर बृजेश कुमार साहनी उर्फ विजय उपरोक्त अपने गिरोह के अन्य सदस्य के साथ मिलकर अनैतिक देह व्यापार जैसे जघन्य अपराध कारित करता है। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर बृजेश कुमार साहनी उर्फ विजय व गैंग के अन्य सदस्य 1.प्रेम साहनी व 2.बिट्टू उर्फ अनीता उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत मु०अ०सं० 684/2025 धारा 3(1),2(ख) उपधारा(i),2(ख) उपधारा(v),2(ख) उपधारा(xi) उ०प्र० गिरोह बन्द क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 684/2025 धारा 3(1),2(ख) उपधारा(i),2(ख) उपधारा(v),2(ख) उपधारा(xi) उ०प्र० गिरोह बन्द क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

अभियुक्तों का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1. **बृजेश कुमार साहनी उर्फ विजय पुत्र स्व० कैलाश निवासी ग्राम जंगल एकला नं० 2 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर (गैंग लीडर)**
 - i. मु०अ०सं० 456/2025 धारा 98, 319(2), 318(4), 336(3), 340(2) भा०न्या०सं० व 3,4,7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
 - ii. मु०अ०सं० 684/2025 धारा 3(1),2(ख) उपधारा (i),2(ख) उपधारा (v),2(ख) उपधारा (xi) उ०प्र० गिरोह बन्द क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. **प्रेम साहनी पुत्र पारस साहनी निवासी हरसेवकपुर नं० 2 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर**
 - i. मु०अ०सं० 456/2025 धारा 98, 319(2), 318(4), 336(3), 340(2) भा०न्या०सं० व 3,4,7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
 - ii. मु०अ०सं० 684/2025 धारा 3(1), 2(ख) उपधारा (i), 2(ख) उपधारा (v),2(ख) उपधारा (xi) उ०प्र० गिरोह बन्द क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. **बिट्टू उर्फ अनीता पुत्री स्व० रामजतन निवासिनी हरिपुर तुरा बाजार थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर**
 - i. मु०अ०सं० 456/2025 धारा 98, 319(2), 318(4), 336(3), 340(2) भा०न्या०सं० व 3,4,7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
 - ii. मु०अ०सं० 684/2025 धारा 3(1), 2(ख) उपधारा (i), 2(ख) उपधारा (v),2(ख) उपधारा (xi) उ०प्र० गिरोह बन्द क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर